नागरिक शिकायत सूचना पत्र

Moorestown Township (Police Department) के सदस्य न्यायोचित, प्रभावी और निष्पक्ष ढंग से कानून लागू कराने रूपी सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह सभी के सर्वोत्तम हित में है कि किसी विशेष अधिकारी के प्रदर्शन के बारे में आपकी शिकायत को न्यायोचित ढंग से और शीघ्रता से हल किया जाए। आपकी शिकायत की जाँच के लिए पुलिस विभाग के पास औपचारिक प्रक्रियाएँ हैं। इन प्रक्रियाओं का डिजाइन नागरिकों और कानून लागू कराने वाले अधिकारियों, दोनों के अधिकारों की रक्षा करने और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए किया गया है:

1. गुमनाम सर्ोतों सहित किसी भी व्यिक्त से अधिकारी / कमचार्री केबारे में कदाचार की रिपोर्ट या शिकायत किसी भी समय स्वीकार की जानी चाहिए।

2. शिकायतकर्ता की आयु, नस्ल, नस्ल, धर्म , लिंग, यौन अभिविन्यास, विकलांगता या आवर्जन स्थिति की परवाह किए बिना शिकायत स्वीकार किया जाएगा।

3. आपकी शिकायत को किसी उच्चाधिकारी या आंतरिक मामलों केलिए विशेष रूप से पर्शिक्षित अधिकारी केपास भेजा जाएगा जो मामले की विस्तृत और उद्देश्यपूर्ण जाँच करेंगे।

4. आपको घटना केबारे में विस्तृत विवरण दे कर जाँच में मदद करने केलिए कहा जा सकता है कि क्या हुआ था या / और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी या दस्तावेज उपलब्ध कराने केलिए कहा जा सकता है।

5. कानून लागू कराने वाले अधिकारियों केविरुद्ध सभी शिकायतों की विस्तृत जाँच की जाती है। यदि अनुरोध किया जाता है, तो आपको जाँच की स्थिति और उसकेअंतिम परिणाम से अवगत कराया जाएगा, और आप संपर्क जानकारी पर्दान करते हैं। अधिरोपित सटीक सजा गोपनीय है, लेकिन जाँच केअंतिम परिणाम केबारे में आपको सूचित किया जाएगा, अथातर्:

   a. शिकायत की वैधता मान ली गई: सबूतों को देखने से पता चलता है कि अधिकारी ने किसी कानून; विनियमन; महान्यायवादी (अटॉर्नी जनरल) या काउंटी अभियोजक द्वारा जारी किए गए आदेश, दिशानिर्देश, नीति या पर्किर्या; एजेंसी पर्ोटोकॉल; परिचालन पर्किर्या; सिद्धांत; या पर्शिक्षण का उल्लंघन किया है।

   b. शिकायत निराधार पाया गया: सबूतों को देखने से पता चलता है कि कथित कदाचार नहीं हुआ था।

   c. दोषमुक्त कर दिया गया: सबूतों को देखने से पता चलता है कि कथित आचरण हुआ था, लेकिन किसी भी कानून; विनियमन; महान्यायवादी (अटॉर्नी जनरल) या काउंटी अभियोजक द्वारा जारी किए गए आदेश, दिशानिर्देश, नीति या पर्किर्या; एजेंसी पर्ोटोकॉल; परिचालन पर्किर्या; सिद्धांत; या पर्शिक्षण का उल्लंघन नहीं किया गया था।

   d. शिकायत अवैध है: आरोप को स्पष्ट रूप से साबित करने या खारिज करने में जाँच पयापर्त सबूतों का खुलासा करने में विफल रहा।

6. यदि हमारी जाँच यह दशातीर् है कि अपराध किया गया हो सकता है, तो काउंटी अभियोजक को सूचित किया जाएगा। आपको अदालत में गवाही देने केलिए कहा जा सकता है।

7. यदि हमारी जाँच केपरिणामस्वरूप किसी अधिकारी पर विभाग केनियमों केउल्लंघन का आरोप लगाया जाता है, तो विभागीय सुनवाई में आपको गवाही देने केलिए कहा जा सकता है।

8. यदि हमारी जाँच दर्शाती है कि शिकायत निराधार है या अधिकारी ने ठीक से काम किया है तो मामला बंद कर दिया जाएगा।

9. आंतरिक मामलों की जाँच गोपनीय है और सभी अनुशासनात्मक सुनवाई जनता केलिए बंद रहेगी, जब तक कि पर्तिवादी अधिकारी खुली सुनवाई का अनुरोध नहीं करता है।

10. आप मामले केबारे में किसी भी अतिरिक्त जानकारी या किसी भी पर्श्न केसाथ (Howard Mann Jr. को(856-914-3043) पर कॉल कर सकते हैं।

विभाग / एजेंसी _Moorestown Township Police Department_________ IA केस नंबर______________________________________

आंतरिक मामलों को रिपोर्ट करने के लिए फार्म

रिपोर्ट करने वाला व्यक्ति (वैकल्पिक, लेकिन सहायक)

पसंदीदा?

पूरा नाम ____ **फोन** ______________________________ ☐

पता (अपार्टमेंट #) ____ **ई-मेल** ______________________________ ☐

शहर, राज्य, जिप ____ **जन्म की तारीख** ________________________________

आरोप के अधीन अधिकारी (जो भी जानकारी है, उसे दें)

अधिकारी(ओं) का नाम ____ **बैज नंबर** ________________________________

घटना स्थल ____ **तारीख / समय** ________________________________

नीचे दिए गए स्थान में घटना का प्रकार (यातायात रोकना, सड़क मुठभेड़) और कथित आचरण के बारे में किसी भी जानकारी का वर्णन करें। आप अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए अतिरिक्त पृष्ठों का उपयोग कर सकते हैं, और उसे इस दस्तावेज में संलग्न करें। यदि आप अधिकारी का नाम या बैज नंबर नहीं जानते हैं, तो पहचान करने के लिए कोई अन्य जानकारी प्रदान करें।

अन्य जानकारी

इसकी रपट कैसे की गई थी?

☐ व्यक्तिगत रुप से ☐ फोन के माध्यम से ☐ पत्र के द्वारा ☐ ई-मेल से ☐ अन्य ______________________________________

कोई भौतिक साक्ष्य प्रस्तुत किया? ☐ हाँ ☐ नहीं यदि हाँ, तो वर्णन करें: ____

क्या घटना की रपट पहले की गई थी? ☐ हाँ ☐ नहीं यदि हाँ, तो वर्णन करें: ____

रपट प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा पूरा किया जाएगा

____	______________	______________
शिकायत प्राप्त करने वाला अधिकारी	बैज नंबर	तारीख / समय
____	______________	______________
शिकायत की समीक्षा करने वाले पर्यवेक्षक	बैज नंबर	तारीख / समय